221/DS(NM)11/14
21/3/2014

42 25

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक : 20/03/ 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री विभूति नारायण दुबे का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री~~ विभूति ~~के दिनांक~~ 3/3 ~~/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ प्रधान मंत्री से अंतरण द्वारा दिनांक 19/03/2014 को प्राप्त) को एन एम प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क ~~प्रधान मंत्री~~ दिनांक....../....../2013 की रसीद सं.................. के तहत जमा कर दिया है ~~(संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

Recd. at 5.40 PM on 21/3/14 (Friday)
21/3

सेवा में

MNC ...

उप सचिव (एन एम II) for 2 & 3
गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली

Dir NM ... 21-3-14

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुश्री विभूति नारायण दुबे
ग्राम ससाराबुर पोस्ट चकसुन्दरपुर सानपुर
जनपद सन्त रविदास नगर
भदोही, उ.प्र. - 221304
(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

21.3
US(NM4)

Dy No-420/US/NM-IV
24/03/2014

C-252833/145/14
13.03

1653/PMO/2014
14/3/14

26

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

संख्या आरटीआई/1496/2014-पीएमआर

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011
दिनांक: 11/03/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री विभूति नारायण दूबे से प्राप्त दिनांक 3.3.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 7.3.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

JS(A)

1. सचिव, भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	बिंदु संख्या 1 के संबंध में
2. गृह सचिव, गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	बिंदु संख्या 3 और 2 के संगत अंश के सबंध में
3. रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	बिंदु संख्या 2 के संगत अंश के संबंध में

DS(E)

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री विभूति नारायण दूबे
ग्राम संसारापुर
पोस्ट चकसुन्दरपुर ज्ञानपुर
जनपद सन्त रविदास नगर
भदोही, उत्तर प्रदेश - 221 304

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें। इस कार्यालय के संबंध में सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी।

13/3

US(RTI)

14/3

DS (N...)

1490-14 — 7 MAR 14

27

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन
सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

... 2014 ... SECTION

1496/14

RIGHT TO INFORMATION

आवेदक का नाम
विभूति नारायण दूबे
(आर.टी.आई. कार्यकर्ता)

निवास - ग्रा. संसारापुर, पो. चकसुन्दरपुर ज्ञानपुर
जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही (उ.प्र.) - 221304
मो. 9450789856, 8009746719

पत्रांक - 293/F/2014 — पंजीकृत — दिनांक 03 मार्च 2014

URGENT
RTI ACT
Diary No. 1615
& Date 07/03/14
Last Date For Disposal 12/03/14

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी महोदय
मा० प्रधानमन्त्री कार्यालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

1- आवेदक का नाम- विभूति नारायण दूबे — IPO No 25F 004624 of ₹10/-

2- पता- उपर्युक्त उल्लिखित पता

3- अपेक्षित सूचना का विवरण- (i) सूचना की विषय-वस्तु- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक'

(ii) अवधि (जिससे सूचना सम्बन्धित है) - 45 दिन

(iii) अपेक्षित सूचना का विस्तृत विवरण- आवेदक आप श्रीमान जी से निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन करता है-

बिन्दु-1- सम्पूर्ण भारत में सन 1980 से अब तक कुल कितने किसानों द्वारा कृषि से जुड़े उत्पाद फसलों में घाटा आने से आर्थिक रूप से तंगी हालत व बकाया कर्ज की अदायगी न होने के कारण भूखमरी के कगार पर पहुँचने की स्थिति न झेल पाने के कारण आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया गया है। उनका नाम, पता, आत्महत्या दिनांक, सरकार द्वारा सम्बन्धित किसान के आश्रितों को दी गयी आर्थिक व अन्य सहायता के सम्पूर्ण विवरण की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करें।

A2C

बिन्दु-2 सम्पूर्ण भारत देश में सन 1990 से अब तक कुल कितने नागरिकों व पुलिस, सी. आर. पी. एफ., भारतीय सेना, व अन्य के जवानों की मृत्यु नक्सलियों के प्राणघातक हमले से हुयी है। प्रत्येक के नाम, पता, मृत्यु दिनांक, सरकार द्वारा सम्बन्धित के आश्रितों

MHA
MOD

19/2/14 8.

क्रमशः- पृष्ठ-2 पर

को सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक मदद व अन्य मदद तथा ऐसे नक्सली हमले के सुरक्षा की दृष्टिकोण से अब तक की हुयी व्यवस्था के विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

MHA

बिन्दु-3- भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था के मद में वर्ष 1990 से अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है? वर्षवार विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

MHA — Security related Expenditure

बिन्दु-4- भारत देश से सटे अन्य देशों की सीमा पर तैनात भारतीय सेना के वीर जवानों में से सन् 1990 से अब तक विदेशी आतंकवादियों व अन्य किसी भी प्रकार के हमले से अब तक कितने भारतीय सेना के वीर जवान शहीद हो चुके हैं। प्रत्येक का नाम, पता, शहीद होने का दिनांक तथा उनके आश्रितों को भारत सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, तथा अन्य मदद के सम्पूर्ण विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

MOD

बिन्दु-5- मा० प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार को "एक आर०टी०आई० कार्यकर्ता के रूप में अपनी सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा लिखा गया पत्र संख्या: 81/सुरक्षा/2013 दिनांक: 26-06-2013 के सापेक्ष मा० प्रधानमन्त्री जी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? कृत कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

DoM

बिन्दु-6- बिन्दु-5 में वर्णित पत्र के सन्दर्भ में आवेदक को आज दिनांक: तक सुरक्षा व्यवस्था किस विधिक कारण से मुहैया नहीं करायी जा सकी है, विवरण सहित अवगत करायें। अवगत होना चाहिए कि आवेदक द्वारा "आर० टी० आई० कार्यकर्ता" के रूप में अनेक छोटे-बड़े मामलों में भ्रष्टाचार का खुलासा किये जाने से जीवन-भय अवश्यंभावी हो गया है, जिससे जिम्मेदार लोगों द्वारा कभी भी पलटवार करके हमला किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बिन्दु-7- बिन्दु-5 में वर्णित पत्र में उल्लिखित "श्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,

क्रमश: पृष्ठ उपर

राज्यमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: D.O. NO. F-1/15/2010-IR दिनांक: 25 अगस्त 2010 (प्रति संलग्न है) के अनुपालन में आर०टी०आई० की गतिविधि से जुड़े "आवेदक विभूति नारायण दुबे, आर०टी०आई० कार्यकर्ता" की सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री व जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा आज दिनांक तक न किये जाने की स्थिति में "आवेदक के सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में तथा भारत सरकार के उक्त आदेश का सम्बन्धित लोगों द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में" मा० प्रधानमन्त्री भारत सरकार द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करके कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

(iv) अपेक्षित सूचना डाक द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(v) डाक की दशा - पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा

(4) क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे का है - नहीं

स्थान - संसारपुर

संलग्नक: 1. संदेय शुल्क रु० 10/- मूल्य का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या: 25F 004624

2. मा० पृथ्वीराज चव्हाण महोदय राज्यमन्त्री भारत सरकार, का आर०टी०आई० कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में पत्र सं० D.O. NO. F-1/15/2010-IR दि० 25 अगस्त 2010 (छायाप्रति)

आवेदक का हस्ताक्षर

[signature]

03/03/14

(विभूति नारायण दुबे)

64

Speed Post

No.18015/12/2014-NM.IV
Government of India
Ministry of Home Affairs
Naxal Management Division
******

New Delhi-110001
Dated 25th March, 2014

To

Shri Bibhuti Narayan Dubey,
Village: Sansarapur,
Post Office: Chaksunderpur Giyanpur,
Janpat Sant Ravidas Nagar,
Badohi, Uttar Pradesh-221304.

Subject: - Information sought under Right to Information Act, 2005- regarding.

Sir,

Please refer to your RTI application No. 293/F/2014 dated 03.03.2014 for providing information to you on the said application under Right to Information Act, 2005.

2. The undersigned has the information in respect of point No. 03 only which is as under:

The Special Infrastructure Scheme (SIS) in LWE affected States is being implemented from the year 2008-09 to cater the security related critical infrastructure gaps, which cannot be covered under any other scheme. From the year 2013-14 a new objective of funding upgradation/critical gap filling of Special Forces of LWE affected States has also been added to the Scheme funds released to the 9 LWE affected States under the Scheme year-wise are given below:-

S. No	States	Funds Released (Rs. In Lakhs)					
		Year 2008-09	Year 2009-10	Year 2010-11	Year 2011-12	Year 2012-13	Year 2013-14
1	Andhra Pradesh	589.00	340.00	1751.18	2377.16	Nil	999.00
2	Bihar	1605.00	370.00	1739.40	3465.71	Nil	1505.70
3	Chhattisgarh	2750.00	390.00	2033.76	3040.53	Nil	1634.09
4	Jharkhand	2380.00	585.00	2008.10	3561.35	Nil	1652.33
5	Madhya Pradesh	293.00	-	232.07	747.73	Nil	-
6	Maharashtra	339.92	290.00	879.42	434.25	Nil	-
7	Odisha	1177.00	420.00	2035.64	4047.27	Nil	1622.25
8	Uttar Pradesh	866.00	265.00	1121.83	440.84	Nil	-
9	West Bengal	-	340.00	1198.60	467.17	Nil	-
	Total	**9999.92**	**3000.00**	**13000.00**	**18582.01**	**Nil**	**7413.37**

3. However, your application is being forwarded to the other CPIOs in this Division for sending information that may be available in their custody directly to you.

4. Appeal u/s 19 (i) with reference to this reply lies with Shri M. A. Ganapathy, Joint Secretary (NM), MHA, Room No. 193, A/1,North Block, New Delhi-1.

Yours faithfully,

(K. S. Kusala Kumar)
CPIO & Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele: 2309 2506

Copy along with a copy of the RTI application referred to above forwarded for necessary action to:

1. Shri Rambir Singh, Director, NM & CPIO, NM Division, MHA, North Block, New Delhi - with a request to send reply directly to the applicant.
2. Shri Daljit Singh Chawdhary, Director (ANO-I), NM Division, MHA, North Block, New Delhi- with a request to send reply directly to the applicant.
3. Copy to: Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI, MHA, North Block, New Delhi.

O/C

Please issue R.T.I